

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 168 / 2024 (2024 / 603)

अनवान

परशु पिता प्रताब चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ

-वादी

बनाम

1. अमृत पुत्र जमना चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ
2. श्रीमती कंकु पुत्री तुलछा पत्नी खुमाण चमार नि.ओछडी तह.व जिला चित्तौडगढ
3. केशव पिता उदा चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ
4. किशनलाल पिता उदा चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ
5. श्रीमति गंगा पत्नी नाना चमार नि.ओछडी तह.व जिला चित्तौडगढ
6. घीसी बाई पत्नी उदा चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ
7. श्रीमती जानी पुत्री तुलछा पत्नी नाथु चमार नि.बडोदिया तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ
8. श्रीमती झुमा पुत्री तुलछा पत्नी उंकार चमार नि.रोजडा तह.व जिला चित्तौडगढ
9. नंदलाल पिता उदा चमार नि.रामनगर कच्ची बस्ती सेंती चित्तौडगढ
10. नारायण पिता बालु चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ
11. श्रीमती नारायणी बाई पुत्री गोपी चमार पत्नी गंगाराम चमार नि.रामनगर कच्ची बस्ती सेंती चित्तौडगढ
12. प्यारचंद पिता उदा चमार नि.रामनगर कच्ची बस्ती सेंती चित्तौडगढ
13. श्रीमती मुन्नी पुत्री नाना पत्नी भैरु चमार नि.पुरानी आबादी खोर तह.व जिला चित्तौडगढ
14. श्रीमती रूकमा पुत्री तुलछा चमार पत्नी सोहन चमार नि.रोजडा तह.व जिला चित्तौडगढ
15. शंकर पिता तुलछा चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ



(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (रत्न.)



- 16.श्याम लाल पिता नाना चमार नि.ओछडी तह.व जिला चित्तौडगढ
- 17.श्रीमती सुन्दर पुत्री तुलछा पत्नी उदयराम चमार नि.सिरोडी जिला चित्तौडगढ
- 18.हीरा पिता जमना चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ
- 19.लालुराम पिता गणेश चमार नि.रामनगर कच्ची बस्ती सेंती चित्तौडगढ
- 20.नारायण लाल पिता लालुराम चमार नि.रामनगर कच्ची बस्ती सेंती चित्तौडगढ
- 21.देउ बाई पुत्री लालुराम पत्नी राधेश्याम चमार नि.सिरोडी जिला चित्तौडगढ
- 22.भूमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता वादीगण

श्री खुमराज कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी (1,3,4,9,10,11,12,15,18)

निर्णय

दिनांक 25.03.2026

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए. को इस आषय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम बराडा पटवार हल्का ओछडी के खाता संख्या 26 मे वर्णित आराजी नम्बर 413, 415, 416, 417, 433, 434, 435, 437, 438, 439 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 1.78 हे. स्थित है। विवादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जमाबन्दी मे अंकन अनुसार हक हिस्सा निहित है। इसी अनुरूप मौके पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर खेती करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात का आपसी बटवाडा नही होने से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस हेतू वादीगण ने पांति बटवाडा के यह वाद पत्र पेष किया है। प्रतिवादी संख्या 19 की पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 20 व 21 की माता प्रेम पुत्री तुलछा चमार का निधन हो चुका है ओर जिनके वैधानिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 19, 20, 21 क्रमष पति , पुत्र व पुत्री है इनके अलावा मृतक प्रेम के अन्य कोई वैधानिक उत्तराधिकारी नही है। इसलिए वाद मे मृतक प्रेम के बजाय प्रतिवादी संख्या 19, 20, 21 को पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 16.08.2024 को आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजीयात का बटवाडा करवाने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना कर देना से वाद पैदा होकर हर रोज जारी है। अन्त मे वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात मौजा



(सिने दिनांक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपस्थित अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (स.व.)



बराडा पटवार हल्का ओछडी के खाता संख्या 26 मे वर्णित आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से वादी का निहित हक हिस्से अनुसार बटवाडा किए जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 04.11.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार चित्तौडगढ से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए। तहसील चित्तौडगढ से पत्रांक/राज/2026/29 दिनांक 08.01.2026 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर रेकार्ड पर है । बहस विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष की सुनी गई। उभयपक्षकारान द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप होने से निम्नानुसार अन्तिम डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया। वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम बराडा पटवार हल्का ओछडी तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 26 मे वर्णित आराजीयात कुल किता 10 कुल रकबा 1.78 हे. भूमि का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र.स.	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	परथू पिता प्रताप चमार सा.देह खातेदार	437 438 मे से पूर्व 439 मे से पूर्व 434 मे से उत्तर	0.16 0.1156 0.1256 0.1063	बीड चाही 2 जाव 2 चाही 2 जाव 2 बीड चाही जाव बीड	0.40 1.30 0.73 1.13 0.44 0.11 1.00 0.50 0.05
	कुल किता	04	0.5075	—	5.66
2.	अमृता 1/16 हीरा 1/16 पिता जमना गुन्नी 1/24 श्यामलाल 1/24 पिता नाना गंगा पत्नी नाना 1/24 नाबालिग श्यामलाल सपरस्त माता गंगा नाराण पिता बालु 1/8 नारायणी बाई पिता गोपी 1/8 शंकरलाल 1/16 कंकु 1/16 झुमा 1/16 सुन्दर 1/16 , रुकमा 1/16 , प्रेम 1/16 जानी 1/16 पिता तुलछा , नंदलाल	433 417 416 415 434 मे से	0.12 0.20 0.15 0.35 0.1949	बीड बीड चाही 2 जाव 2 बारानी बीड चाही जाव बीड	0.35 0.50 2.25 0.75 1.38 0.25 2.00 1.10 0.05



(बीनू देसैल)
सहायक सहायक सचिव
उपखण्ड अधिवक्ता
चित्तौड़गढ़ (रख.)



	1/80 प्यारचंद 1/80 किशनलाल 1/80 केशव 1/80 पिता उदा घीसी पत्नी उदा 1/80 चमार सा. देह खातेदार रहन - GSS सेंती प्यारचंद, शंकर, केशव, घीसी नाराण				
	कुल किता	05	1.0149	-	8.63
3.	परथू पिता प्रताप चमार 1/3 अमृता 1/24 हीरा 1/24 पिता जमना शेष बद.जमाबन्दी अनुसार संयुक्त खातेदार रहन बदस्तुर	413 435 439 मे से पश्चिम 438 मे से पश्चिम 434 मे से पश्चिम	0.19 0.02 0.0144 0.0244 0.0088	पाल कुआ रास्ता रास्ता रास्ता	
	कुल किता	05	0.2576	-	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। डिक्री मुर्तिब हो।
विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(बीमू देवत)
सहायक जिला कलेक्टर एवं
उपरखण्ड अधिकाक्षी
बिर्सागढ़ (पंजा.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री बीनू देवल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ
परशु पिता प्रताब चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. अमृत पुत्र जमना चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ
2. श्रीमती कंकु पुत्री तुलछा पत्नी खुमाण चमार नि.ओछडी तह.व जिला चित्तौडगढ
3. केशव पिता उदा चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ
4. किशनलाल पिता उदा चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ
5. श्रीमति गंगा पत्नी नाना चमार नि.ओछडी तह.व जिला चित्तौडगढ
6. घीसी बाई पत्नी उदा चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ
7. श्रीमती जानी पुत्री तुलछा पत्नी नाथु चमार नि.बडोदिया तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ
8. श्रीमती झुमा पुत्री तुलछा पत्नी उंकार चमार नि.रोजडा तह.व जिला चित्तौडगढ
9. नंदलाल पिता उदा चमार नि.रामनगर कच्ची बस्ती सेंती चित्तौडगढ
10. नारायण पिता बालु चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ
11. श्रीमती नारायणी बाई पुत्री गोपी चमार पत्नी गंगाराम चमार नि.रामनगर कच्ची बस्ती सेंती चित्तौडगढ
12. प्यारचंद पिता उदा चमार नि.रामनगर कच्ची बस्ती सेंती चित्तौडगढ
13. श्रीमती मुन्नी पुत्री नाना पत्नी भैरू चमार नि.पुरानी आबादी खोर तह.व जिला चित्तौडगढ
14. श्रीमती रूकमा पुत्री तुलछा चमार पत्नी सोहन चमार नि.रोजडा तह.व जिला चित्तौडगढ
15. शंकर पिता तुलछा चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ
16. श्याम लाल पिता नाना चमार नि.ओछडी तह.व जिला चित्तौडगढ
17. श्रीमती सुन्दर पुत्री तुलछा पत्नी उदयराम चमार नि.सिरोडी जिला चित्तौडगढ
18. हीरा पिता जमना चमार नि.बराडा तह.व जिला चित्तौडगढ



(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (ब.व.)



19. लालुराम पिता गणेश चमार नि.रामनगर कच्ची बस्ती सेंती चित्तौडगढ
20. नारायण लाल पिता लालुराम चमार नि.रामनगर कच्ची बस्ती सेंती चित्तौडगढ
21. देउ बाई पुत्री लालुराम पत्नी राधेश्याम चमार नि.सिरोडी जिला चित्तौडगढ
22. भूमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या : 168 / 2024(2024 / 603)

वादी की ओर से अधिवक्ता दीपक शर्मा की एंव प्रतिवादी (1,3,4,9,10,11,12,15,18) की ओर से अधिवक्ता खुमराज कुमावत की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम बराडा पटवार हल्का ओछडी तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 26 मे वर्णित आराजीयात कुल किता 10 कुल रकबा 1.78 हे. भूमि का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र.स.	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	परथू पिता प्रताप चमार सा.देह खातेदार	437	0.16	बीड	0.40
		438 मे से पूर्व	0.1156	चाही 2 जाव 2	1.30 0.73
		439 मे से पूर्व	0.1256	चाही 2 जाव 2	1.13 0.44
		434 मे से उत्तर	0.1063	बीड	0.11
				चाही जाव बीड	1.00 0.50 0.05
कुल किता		04	0.5075	—	5.66
2.	अमृता 1/16 हीरा 1/16 पिता जमना गुन्नी 1/24 श्यामलाल 1/24 पिता नाना गंगा पत्नी नाना 1/24 नाबालिग श्यामलाल सपरस्त माता गंगा नाराण पिता बालु 1/8 नारायणी बाई पिता गोपी 1/8 शंकरलाल 1/16 कंकु 1/16 झुमा 1/16 सुन्दर 1/16 , रुकमा 1/16 , प्रेम 1/16 जानी 1/16 पिता तुलछा , नंदलाल 1/80 प्यारचंद 1/80 किशनलाल 1/80 केशव 1/80 पिता उदा	433	0.12	बीड	0.35
		417	0.20	बीड	0.50
		416	0.15	चाही 2	2.25
		415	0.35	जाव 2	0.75
				बारानी	1.38
		434 मे से	0.1949	बीड	0.25
				चाही	2.00
				जाव	1.10
				बीड	0.05



(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर एवं
उपरखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)



	घीसी पत्नी उदा 1/80 चमार सा. देह खातेदार रहन - GSS सेंती प्यारचंद, शंकर, केशव, घीसी , नाराण				
	कुल किता	05	1.0149	-	8.63
3.	परथू पिता प्रताप चमार 1/3 अमृता 1/24 हीरा 1/24 पिता जमना शेष बद.जमाबन्दी अनुसार संयुक्त खातेदार रहन बदस्तुर	413 435 439 मे से पश्चिम 438 मे से पश्चिम 434 मे से पश्चिम	0.19 0.02 0.0144 0.0244 0.0088	पाल कुआ रास्ता रास्ता रास्ता	
	कुल किता	05	0.2576	-	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

यह आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



(दिनांक 25.03.2026)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिष्ठात्री
विभाजन (स.ब.)

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़

दिनांक 08/01/2026

क्रमांक/राजस्व/2026 / 29

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदया
चित्तौड़गढ़।


विषय:- प्रकरण सं. 168/2024 मौका विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के
संबंध में।

प्रसंग:- श्रीमान् के पत्रांक/सरिश्ता/वाद 168/2024 /26/11/2025/985
दिनांक 12/12/2025

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र निवेदन है कि श्रीमान् के प्राथमिक डिक्री
आदेश की पालना में प्रकरण संख्या 168/2024 अनवान परथु बनाम अमृत को जरिये सूचना
पत्र सूचित कर मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित
हैं।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार


(विपिन चौधरी)
तहसीलदार चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

मौका रिपोर्ट

(विभाजन प्रस्ताव)

में विपिन चौधरी (नाम) तहसीलदार चित्तौड़गढ़ कार्यालय, न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी महोदय चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक सविख्या/वाट 168/2024/26.11.25/985 दिनांक 18.11.25 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज, दिनांक 12.12.25 समय 10 बजे AM/PM बजे आराजी नम्बर किता-10-कुलुवता-1-78 वाके ग्राम बगडा पटवार मण्डल औरही पर श्री दशरथ सिंह मू-अभिलेख निरीक्षक व श्री वाकेश मीना पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़ में विचाराधीन प्रकरण संख्या - 168/2024 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय में ये नोटिस क्रमांक 1827 दिनांक 9/12/25 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	पवन	प्राप	वमरु	चमार	वादी
2.	शंकर	दुलार	वमरु	चमार	अप्राधी
3.	नन्दलाल	उद्य	20	चमार	अप्राधी
4.	किशन	उद्य	20	चमार	अप्राधी
5.	नारायण	बालु	20	चमार	अप्राधी

उपयुक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम- 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

